

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
कांतिलाल पुत्र गजाराम जाति कुम्हार
निवासी देसूरी तहसील देसूरी वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2026/5
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
06/26	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मौखमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 258 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अब्बल कुल लगान 15.7400 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, मौखमपुरा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक उपखण्ड अधिकारी, पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बड़जलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
कांतिलाल पुत्र गजाराम जाति कुम्हार
निवासी देसूरी तहसील देसुरी

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2026/ 5
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मौखमपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 258 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल कुल लगान 15.7400 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, मौखमपुरा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/01/26 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली



खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 19/06/2025 12:53:27 PM

जिला : पाली
तहसील : मौखमपुरा

तहसील : बाली
ग्राम : मौखमपुरा

भू. अ. नि. क्षेत्र : मौखमपुरा



Scale 1:2000

ILR मौखमपुरा

खसरा संख्या : 258 क्षेत्रफल : 0.7000 Hectare खाता संख्या : 33पुराना खाता संख्या : 31
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : चाही प्रथम [0.2200, 9.02], जाव अद्वल [0.4800, 6.72]

- 1.) कांतिलाल पुत्र गजाराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुम्हार सा. देसूरी खातेदार
- 2.) चुनीबाई पत्नि दुर्गाराम हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खीमेल
- 3.) निर्मला गोस्वामी पत्नि हरिओम पूरी हिस्सा- 1/6 जाति- गोसाई(गुंशाई) House No.-0, Colony- DESURI, Area- DESURI, City- DESURI, Pin code- 306703, District- PALI, State- RAJASTHAN खातेदार
- 4.) निर्मलागोस्वामी पत्नि हरिओमपुरी हिस्सा- 1/6 जाति- गोस्वामी सा. देसूरी खातेदार
- 5.) भूरालाल पुत्र चुनीलाल हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. केसूली देसूरी खातेदार

(Signature)
[Fingerprint]

निर्मला गोस्वामी

[Fingerprint]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर (भू. अ. नि.)
पंचायत मण्डल - मौखमपुरा
तहसील बाली, जिला - पाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रशासनिक जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

भूरालाल
[Fingerprint]

(क्षी. चुनीबाई)

तहसीलदार (भू. अ. नि.) बाली